पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: research@shekhauni.ac.in दूरभाष नं.: 01572-232509

क्रमांक – 4741 दिनांक– 03/11/25

कार्यालय आदेश

विषय: पीएच.डी. सत्र 2023-24 के शोधरत शोधार्थियों के कोर्सवर्क परीक्षा-2025 हेतु आवेदन एवं परीक्षा कार्यक्रम की सूचना।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत, विश्वविद्यालय के पीएच.डी. कार्यक्रम के सत्र 2023-24 में पंजीकृत समस्त शोधरत शोधार्थियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके कोर्सवर्क (Coursework) की परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कार्यक्रम और दिशानिर्देश निर्धारित किए जाते हैं:

क्र.म	विवरण	जानकारी
1	आवेदन प्रक्रिया एवं शुल्क	2000/-
2	आवेदन पत्र का प्रकार	पीएच.डी. कोर्सवर्क परीक्षा-2025
3	आवेदन का माध्यम	केवल ऑनलाइन
4	आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	दिनांक 10 नवंबर, 2025 (सायं 05:00 बजे तक)
5	परीक्षा शुल्क	₹ 2000/- (दो हजार रुपये मात्र) प्रति शोधार्थी
6	भुगतान का माध्यम	ऑनलाइन माध्यम से

> नोट: अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी परिस्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क अप्रतिदेय (Non-Refundable) होगा।

II. परीक्षा कार्यक्रम एवं पैटर्न

क्र.म	विवरण	जानकारी
1	परीक्षा की तिथियाँ	दिनांक 15 नवंबर, 2025 एवं 16 नवंबर, 2025
2	परीक्षा का केंद्र.	विश्वविद्यालय परिसर में अवस्थित अकादमिक भवन (Academic Block)
3	परीक्षा का पैटर्न	डिस्क्रिप्टिव (Descriptive) / वर्णनात्मक (संलग्न सूचनापत्र के अनुसार)
4	शोधार्थी पहचान	शोधार्थियों को अपने विश्वविद्यालय आईडी कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र पर लाना अनिवार्य होगा।

III. दिशानिर्देश

* शोधार्थी यह सुनिश्चित करें कि उनका नामांकन (Enrollment) और कोर्सवर्क पंजीकरण वैध हो। किसी भी प्रकार की विसंगति की स्थिति में परीक्षा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
* कोर्सवर्क परीक्षा में उपस्थित होना पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नवीनतम विनियमों एवं विश्वविद्यालय की अध्यादेशों के तहत अनिवार्य शर्त है।
* परीक्षा के संबंध में समय-सारणी (Time-Table) एवं विस्तृत दिशानिर्देश विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। शोधार्थी नियमित रूप से वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
* यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया गया है। किसी भी विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय के कुलगुरु का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

समस्त संबंधित शोधार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

शोध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. माननीय कुलपति/निदेशक, कार्यालय - आवश्यक अवलोकनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष - संबंधित शोधार्थियों को सूचित करने हेतु।
3. वित्त अधिकारी/लेखा विभाग - आवेदन शुल्क के संग्रहण एवं लेखांकन हेतु।
4. कुलसचिव/रजिस्ट्रार कार्यालय
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट प्रभारी - आदेश को तत्काल प्रभाव से वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।